न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/05/2023	2023/9	01–02–2023	09–01–2025

1. राजेन्द्र पुत्र मंगतूराम जाति यादव निवासी ग्राम यादव नगर, तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ निर्णय दिनांक 30.12.2022 प्र.सं. 146/22

उपस्थितः–

01–श्री भूपसिंह पोसवाल –वकील अपी0

02–राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अपी0 को आ0ख0नं0 1902 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम यादव नगर (खिलौरा) भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा अपीलार्थी को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक नोटिस इस आशय का भेजा गया कि आराजी खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.20 है0 में से 0.20 है० पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण व अतिचार किया हुआ हैं। अपीलार्थी अपना उक्त आराजी, जो कि एक चारागाह भूमि हैं, पर से अपना अवैध कब्जा हटा लेवे। जिस पर अपीलार्थी तहत न्यायालय तहसील रामगढ के समक्ष हाजिर हुआ। जहाँ पर अपीलार्थी की जानकारी में आया कि अपीलार्थी के विरूद्ध तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा प्रकरण सं. 146/2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया हुआ हैं। जिस पर अपीलार्थी ने तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आग्रह किया कि अपीलार्थी अपने बुजुर्गो के समय से व काफी लम्बे समय से विवादित आराजी पर काबिज दाखिल रहते हुए कार्य काश्त कर रहा हैं तथा अपीलार्थी को विवादित आराजी से कभी भी बेदखल किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी हैं। विवादित आराजी उबड खाबड व बंजर भूमि के रूप में रही हैं मिन अपीलार्थी द्वारा ही उक्त आराजी को कृषि योग्य बनाकर काश्त की जाती रही हैं। इसलिए अपीलार्थी के हक में विवादित आराजी को रेगुलाईज व आवंटन कर दिया जावें। जिस पर तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलार्थी से कहा गया कि आप तहसील कार्यालय में बाहर बैठे, टाईपिस्ट से टाईपशुदा छपा छपाया फार्म ले आईये। जिस पर अपीलार्थी ने टाईपशुदा पेपर लिया। जिसे पढकर मिन अपीलार्थी आश्चर्य चकित रह गया। मिन अपीलार्थी ने तहत न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष अपना उज्ज पेश किया। जिस पर

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया कि आप इस फार्म में बोई हुई फसल का अंकन करते हुए अपना अतिक्रमण हटा लेने की बात को स्वीकार करें ताकि आपके हक में विवादित आराजी के रेगुलाईज व आवंटन की प्रक्रिया को चालू किया जा सके। जिस पर अपीलार्थी ने टाईपशुदा पेपर में विवादित आराजी का अंकन कर उसमें गेहूँ बोना व अतिक्रमण हटाने की बात टंकणित करते हुए पेश कर दी। जिस पर तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं. 146/22 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का निर्णय दिनांक 30.12.2022 को पारित करते हुए पटवारी हल्का खिलौरा की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को विवादित आराजी पर अतिकर्मी होना स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होना मानते हुए अपीलार्थी को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने व 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना रामगढ को गिरफतारी वारण्ट जारी किये जाने तथा अर्थदण्ड के रूप में लगान 3.40 का 50 गुणा राशि 170/– रूपये पेलेंटी आरोपित की गयी। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 08.01.2023 को पटवारी हल्का विवादित आराजी पर पहुंचा और अपीलार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर अपीलार्थी को तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा कारावास व लगान की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश के बारे में बताया। जिस पर अपीलार्थी विवादित आदेश की नकल दिनांक 09.01.2023 को प्राप्त कर अपने अधिवक्ता महोदय से कानूनी सलाह प्राप्त कर लिखा पढी कराई जाकर यह अपील तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 से व्यथित होकर निम्न उजरात के साथ पेश हैं। विवादित आदेश तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर का हैं जिससे अपील को सुनने का न्याय क्षेत्र न्यायालय श्रीमान को हैं। विवादित आदेश दिनांक 30.12.2022 का हैं जिससे अपील अंदर मियाद पेश हैं। तहत अदालत का विवादित आदेश कतई गलत वो खिलाफ कानून वो खिलाफ इंसाफ है तथा वाकेयात पत्रावली होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वो तथ्यो से विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा होना कतई जाहिर वो साबित नही पाया जाता है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश मनमाना वो कयासिया तौर पर पारित किया है। मिन अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर कतई अतिकमी नही है। बेजा अतिकमी घोषित किया है। तहत न्यायालय दौरान वादग्रस्त आराजी पर कोई स्वतंत्र साक्षी की रिपोर्ट तलब नही की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी से महज निजी द्वेष रखते हुए आराजी खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.20 है0 की गलत रिपोर्ट पेश की गयी है। अपीलार्थी का आराजी ख० न० 1902 रकबा 0.20 है० वाके ग्राम यादव नगर, खिलौरा तह० रामगढ जिला अलवर पर या उसके किसी भी भू–भाग पर कभी कोई कब्जा या अतिक्रमण नही रहा और ना ही तहत न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध रही है जिससे अपीलार्थी का चाहागाह भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होता हो । तहत न्यायालय का उक्त विवादित आदेश प्राकृतिक व न्यायिक सिद्धान्तों के खिलाफ है जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत अदालत ने अपनी आज्ञा सादिर फरमाये जाने से पूर्व कोई जॉच नही की एवं ना ही पटवारी हल्का के बयान रिकोर्ड किये और ना ही अपीलार्थी को उनसे जिरह करने का मौका सादिर फरमाया गया और ना ही अपीलार्थी को अपनी ओर से दस्तावेजात पेश करने व गवाहन पेश करने का मौका सादिर फरमाया गया। जिससे अपीलार्थी का केस गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वो तथ्यों से विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा होना कतई जाहिर वो साबित नही पाया गया। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर का आदेश दिनांक 30.12.2022 को अपास्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार बानसूर द्वारा अपी0 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया

अ. रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

गया है, अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इससें पूर्व भी अतिक्रमण किया गया था। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का खिलौरा मय ताईद भू.अ.नि. वृत रामगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1902 रकबा 0.20 है0 किस्म गैर चाही–2 वाके ग्राम यादव नगर (खिलौरा) में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चिकानी अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1902 रकबा 0.20 है0 किस्म गैर चाही–2 भूमि में से 0.20 है0 पर गेंहू काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। मुताबिक पटवारी हल्का बयान अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व में भी उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया था तथा बावजूद बेदखली के अपी0 द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)